

2

श्री 1234
19/11/18
22/3/18

राजस्थान सरकार
शिक्षा(एच-4) विभाग

अध्याय प. 11 (3) शिक्षा-4/2008आई

दिनांक: 22 मार्च 2018

आदेश

शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

मेकानल ग्राहकमिल और टीपर एन्प्लॉयमेंट के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुप्रास पर राज्य के नै-अनुप्रासित शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	भेद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एड.सी.-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4	अन्य सहाय्यिकाएं*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर उचित शुल्क बी.पी.एड. व कक्षाकोश पर अनुसंधानों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त सविनया से काम चलाया 2 में उचित शिक्षण-शुल्क एवं मदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	भेद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.सी.-बी.एड./ एम.एड.
(A)	कार्यालय व्यय				
1	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2	संशोधन मनी *	180	180	180	180
3	प्रयोग-पत्र	24	24	24	24
4	शिक्षण शुल्क	840	840	840	840
5	बिजली-पानी	840	840	840	840
6	परिष्कार	300	300	300	300
7	विविध	60	60	60	60
	योग (A)	2260	2280	2280	2280

2

(B) छात्र कोष				
1. खेतपट्ट	180	180	180	180
2. मुलतकालय	540	540	540	540
3. काला, सजीव एवं संस्कृति	180	180	180	180
4. भर्त्सिद्धरिक्त प्रयोगशाला	180	180	180	180
5. शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6. कार्यशाला / कार्यपुस्तक	360	360	360	360
7. विज्ञान सुल्ल	180	180	180	180
8. आकरिगत व्यय	180	180	180	180
योग (B)	2160	2160	2160	2160
महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00

(* कालांतय व्यय के अ.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का सुल्ल किन्ती भी पाठ्यक्रम में शिर्ष प्रवेश की प्रथम पर्य में ही देय होगा)

उपरोक्त सुल्ल वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व की वर्षों में प्रवेश से सुल्ल विद्यार्थियों को वर्ष 2018-19/आगतों सनों के लिए समत अंश के अनुसार ही वार्षिक सुल्ल, प्रवेश सुल्ल व करिशन मदी मद की शशि की प्रोडक्शन, संप सुल्ल संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त सुल्ल की अतिरिक्त सविध विद्यार्थी सुल्ल दुपेटना कीय योजना के प्रोविजन की शशि सुल्ल से देय होगी।

सुल्ल की शशि जमा कराने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों की आवश्यक रूप से औद्योगिक शिक्षण उपलब्ध करवाएं।


 (नि. राजेंद्र जी.सी.)
 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिष्ठित, सुवर्ग/आवरणक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सचिव, मानवीय सुल्ल एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख राजन सचिव, सार्वभिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख राजन सचिव, विस्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, सारन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सारन सचिव, शारभिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, कोलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निर्देशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीयनरिधि-11, एनआईसी भवन, अम्बरकर साहिब, महानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निर्देशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सुल्लसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. सुल्लसचिव, जयपाराधन नारा विद्याविद्यालय, जयपुर।